अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी एण्ड सी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 अगस्त, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जुलाई, 2021 माह का मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जुलाई, 2021** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. सहायक निदेशक, राजभाषा प्रभाग।

उपभोक्ता मामले विभाग
जुलाई, 2021 माह का मासिक सारांश

जुलाई, 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप/निर्णय।

1. मूल्य निगरानी

1.1 दालों की जमाखोरी और कालाबाजारी को कम करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने दिनांक 02 जुलाई, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से मूंग के अतिरिक्त सभी प्रकार की दालों पर स्टॉक सीमाओं का अधिरोपण किया है। स्टॉक निर्धारण और स्टॉक सीमाओं के प्रवर्तन की गति को राज्य सरकार के समन्वय से निगरानी की गई। तदनुसार, सरकार दिनांक 31 अक्तूबर 2021 तक केवल तूर, मसूर, उड़द और चना के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2021 के आदेश के माध्यम से स्टॉक सीमा को अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त मिलरों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा से छूट प्रदान की गई और इसके तहत आयातकों को पूर्ण छूट प्रदान की गई। स्टॉक रखने वाली इकाइयों की संख्या और उनके द्वारा स्टॉक घोषणा को 30 जून के 7369 इकाइयों और 24.4 लाख मीट्रिक टन दालों से बढ़ाकर 31 जुलाई की स्थिति के अनुसार 9625 इकाइयों और 29.69 लाख मीट्रिक टन दालों तक बढ़ा दिया गया है।

1.2 उपभोक्ता मामले विभाग दालों के आयात की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। सीमा शुल्क, एफएसएसएआई, पीक्यू और पोर्ट ट्रस्ट जैसी संबंधित संगठनो/ एजेंसियों के साथ साप्ताहिक बैठको के माध्यम से कंसाइनमेंट क्लीयरेंस की वस्तु स्थिति की निगरानी की गई। कार्गो की निकासी में लगने वाले समय को 28 जून से 04 जुलाई के सप्ताह के लिए 9.44 दिन से घटाकर 26 जुलाई से 02 अगस्त के सप्ताह के लिए 6.96 दिन कर दिया गया है। पांच दालों का कुल आयात जो कि अप्रैल से जुलाई, 2019 के बीच 4.47 लाख मीट्रिक टन थी और वर्ष 2020 में उसी अवधि में यह 4.37 लाख मीट्रिक टन रही और अप्रैल से जुलाई, 2021 के बीच यह बढ़कर 4.61 लाख मीट्रिक टन हो गई।

2. बफर स्टॉक

2.1 वर्ष 2021-22 में प्याज के बफर का अनुमोदित लक्ष्य कुल 2 लाख मीट्रिक टन है। नेफेड द्वारा अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक इस योजना को बढ़ाने के उद्देश्य से, अधिप्रापण का कार्य आरंभ किया गया, ताकि न्यूनतम भंडारण क्षति हो। कुल 2,07,686 मीट्रिक टन प्याज का अधिप्रापण किया गया जिसमें से 5,416 मीट्क टन प्याज को नियंत्रित वातावरण (सीए) वाले भंडागारों में रखा गया। नेफेड ने प्रचालन की दक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्टॉक के अधिप्रापण, भंडारण और आवाजाही की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र विकसित किया है।

2.2 आईएमसी ने प्याज के निपटान की प्रक्रिया जो कि अखिल भारतीय खुदरा मूल्य पर आधारित है और साथ ही स्टॉक की शेल्फ लाइफ को ध्यान में रखते हुए इसमें तेजी लाने का निर्णय लिया है।

3. विधिक माप विज्ञान

विनिर्माण और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनुपालन की सुगमता और व्यापार की सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया है, उपभोक्ता मामले विभाग ने तदनुसार आईएसओ:17025 के मानकों को पूरा करने वाली एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को बाट और माप उपकरणों के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) के रूप में अधिसूचित होने की अनुमति दी है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, सभी सातों क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं, जो इस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, जीएटीसी के रूप में अधिसूचित की गई है।

4. बीआईएस और एनटीएच प्रयोगशालाओं का 'परख' पोर्टल

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क विकसित किया गया है, जो देश में प्रयोगशाला से जुड़ी सभी सूचनाओं को एकत्र करता है। उपभोक्ता मामले विभाग, महत्वपूर्ण पणधारी होने के नाते, एक सक्रिय भागीदार है; सभी बीआईएस और एनटीएच प्रयोगशालाओं को पोर्टल पर मैप किया गया है जिनमें वे निजी प्रयोगशालाएं भी शामिल है जिन्हें बीआईएस द्वारा पैनलबद्ध किया गया है और मान्यता दी गई है।

5. एनटीएच द्वारा महत्वपूर्ण परीक्षण गतिविधियां

5.1 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच), राष्ट्रीय महत्व के गुणवत्तायुक्त परीक्षण कार्य जैसे कोलकाता और भुवनेश्वर हवाईअड्डों पर "रडार टेम्प्लेट ऑफ एयरक्रॉफ्ट" का अंशांकन तथा "प्रोसेसन अप्रोच पाथ इंडिकेटर लाइट, हैलोजन रनवे एज लाइट, टैक्सीवे एज लाइट" का गुणवत्ता परीक्षण, जिसका प्रयोग जहाजों के उतरने (लैंडिंग) और उड़ान भरने (टेक-ऑफ) के दौरान किया जाता है, कार्यान्वित करता रहा है।

5.2 जीईएम (GeM) को एक प्रस्ताव भेजा गया था और तब जोरदार तरीके से इसका अनुश्रवण किया, जिसके बाद जीईएम (GeM) पोर्टल के माध्यम से सरकार विभागों द्वारा अधिप्राप्त उत्पादों के परीक्षण और निरीक्षण के लिए एनटीएच को तृतीय पक्ष एजेंसी घोषित किया गया है।

6. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

बीआईएस (भारत) को दिनांक 23-24 जून, 2021 के दौरान आयोजित बैठक में दक्षिण एशियाई मानक संगठन के अनुरूपता मूल्यांकन बोर्ड का 3 वर्षों के लिए या प्रक्रिया नियमावली को अंतिम रूप दिए जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष चुना गया है। अनुरूपता मूल्यांकन बोर्ड, सार्क के भीतर व्यापार के मार्ग में आने वाली तकनीकी बाधाओं को समाप्त करने की दृष्टि से सभी अनुरूपता मूल्यांकन गतिविधियों की योजना बनाने, समन्वयन करने, निगरानी के लिए उत्तरदायी होता है।

****